

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. श्री प्रदीप पुत्र श्री शिम्भूदयाल जाति ब्राह्मण निवासी टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.। - वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 804/2025

जीसीएमएस नं० 2025/1535

आदेश

दिनांक - 03/12/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम टोडा तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 44 एवं 45 में वादी की दादी का गलत दर्ज नाम "धापली" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "धापा देवी" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना  
राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

## डिकी मुकदमा इबतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)  
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. श्री प्रदीप पुत्र श्री शिम्भूदयाल जाति ब्राह्मण निवासी टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड  
मुकदमा नं. 804 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम टोडा तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 44 एवं 45 में वादी की दादी का गलत दर्ज नाम "धापली" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "धापा देवी" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....  
...फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।  
बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 2 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।



दस्तखत.....

ओहदा.....

मुहर	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूबरू
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी दावा महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक  मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक  मीजान	राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।